

उ०प्र० पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड

(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या : 11-विनियम/पाकालि/2012-09-विनियम/2001 (टी०सी०)

दिनांक : 21 मई, 2012

कार्यालय-ज्ञाप

उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद मुख्यालय लिपिकीय कर्मचारी सेवा विनियमावली-1969 (यथा संशोधित) के पार्ट-III:रिक्रूटमेंट, के विनियम-5 एवं 11(1)-ए-मिनिस्टीरियल क्लास-III में कारपोरेशन कार्यालय ज्ञाप संख्या-21-विनियम एवं औ०सं०/पाकालि/2011-09-विनियम/2001 (टी०सी०) दिनांक 09-05-2011 द्वारा किये गये प्राविधानों में उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के निदेशक मण्डल के कार्योत्तर अनुमोदन की प्रत्याशा में आंशिक संशोधन करते हुए निम्न स्तम्भ-1 में इंगित वर्तमान प्राविधानों को निम्न स्तम्भ-2 में इंगित प्राविधानों से एतद्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :-

स्तम्भ-1 : वर्तमान प्राविधान	स्तम्भ-2 : प्रतिस्थापित प्राविधान
पदनाम/भर्ती का स्रोत/प्रतिशत क०सं०-1 : समीक्षा अधिकारी पे बैंड-2 (रू० 9300 से 34800 + ग्रेड पे-4200) 1. सीधी भर्ती- द्वारा- 50% (परिशिष्ट-1 में निहित योग्यता परीक्षा के अनुसार) 2- सहायक समीक्षा अधिकारी से चयन सह प्रोन्नति द्वारा- 50% (परिशिष्ट-1 में निहित योग्यता परीक्षा के प्रश्नपत्र-3 एवं 4 में न्यूनतम-35% अंकों से उत्तीर्ण) (विशेष अवस्था में निदेशक मण्डल के आदेश से 60% तक)	पदनाम/भर्ती का स्रोत/प्रतिशत क०सं०-1 : समीक्षा अधिकारी 1. सीधी भर्ती- शून्य प्रतिशत। 2. सहायक समीक्षा अधिकारी पद से प्रोन्नति द्वारा-100%

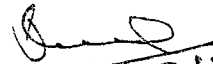
2. संगत विनियमावली (यथा संशोधित) के अन्य प्राविधान यथावत रहेंगे।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्या : 11(1)विनियम/पाकालि/2012, तददिनोंक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव(ऊर्जा), उ०प्र० शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०/उ०प्र०ज०वि०नि०लि०, लखनऊ।
4. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)/(वित्त)/(वितरण)/(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग), उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. प्रबन्ध निदेशक, समस्त डिस्काम/केस्को।
6. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ०प्र०पा०का०लि०, महानगर विस्तार, लखनऊ।
7. अपर सचिव (प्रथम)/(द्वितीय)/(तृतीय)/(अराजपत्रित)/मुख्य महाप्रबन्धक(लेखा प्रशासन)/उप विधि अधिकारी/संयुक्त सचिव(काविनी), उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ।
- ✓ 8. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-405, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।


(जावेद अहमद)
उप सचिव (विनियम)